

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 11.08 प्रतिशत बढ़ा है। इस वर्ष आय में 17.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में 56.30 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष की समाप्ति पर कुल अधिशेष ₹2,10,873.99 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष ₹87,416.22 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 141.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

XII.1 रिजर्व बैंक का तुलन-पत्र, मुद्रा निर्गम के साथ-साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित निधि प्रबंधन उद्देश्यों सहित इसके विभिन्न कार्यों के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाता है।

XII.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, रिजर्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों (पैराग्राफों) में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.3 तुलन-पत्र के आकार में ₹7,02,946.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात् इसका आकार 31 मार्च 2023 के ₹63,44,756.24 करोड़ रुपये से 11.08 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹70,47,703.21 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी निवेश, स्वर्ण, और ऋण तथा अग्रिम में क्रमशः 13.90 प्रतिशत, 18.26 प्रतिशत और 30.05 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जारी किए गए नोटों, जमाराशियों और अन्य देनदारियों में क्रमशः 3.88 प्रतिशत, 27.00 प्रतिशत और 92.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2024 तक कुल आस्तियों में घरेलू आस्तियों की हिस्सेदारी 23.31 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर) भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम मिलाकर कुल हिस्सेदारी 76.69 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च 2023 को क्रमशः 26.08 प्रतिशत और 73.92 प्रतिशत थी।

XII.4 ₹42,819.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्ति विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.5 वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण; अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की विवरणी और लेखा संबंधी अनुपूरक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैं:

सारणी XII.1 : आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए) आय	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13	2,35,457.26	2,75,572.32
बी) कुल व्यय ¹	92,540.93 ²	34,146.75 ³	1,29,800.68 ⁴	1,48,037.04 ⁵	64,694.33 ⁶
सी) निवल आय (ए-बी)	57,131.53	99,126.00	30,311.45	87,420.22	2,10,877.99
डी) निधियों को अंतरण ⁷	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	57,127.53	99,122.00	30,307.45	87,416.22	2,10,873.99

- टिप्पणी: 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. सीएफ और एडीएफ में स्थानांतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं।
5. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हम, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक के लेखा बहियों से स्पष्ट है, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित, यह तुलन पत्र पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं; और यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च 2024 तक बैंक के कार्य और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके परिचालन के परिणाम की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

अभिमत का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने यह लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिए गए हैं। लेखा परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्त्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्त्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती है। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी तात्त्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं मिला है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन प्रभार वहन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखा परीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही अभिमत दें और गंभीर विवरणात्मक भूल से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमाप्त केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और निवेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मौलिक आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की तथ्यात्मक गलती, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह

इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा तात्विक गलती, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाए। गलत विवरण किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे, अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय यथोचित रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

इस लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलती, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलती का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलती से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्य का मूल्यन करते हैं, और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक विवरणी भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

हम सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिजर्व बैंक की 25 लेखांकन इकाइयों का लेखा-जोखा शामिल है, जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय और जासुभॉय

सनदी लेखाकार

(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 101647डब्ल्यू)

कृते फोर्ड रोड्स पार्कर्स एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 102860डब्ल्यू / डब्ल्यू 100089)

अम्बेश दवे

भागीदार

सदस्यता संख्या 049289

यूडीआईएन: 24049289BKDHQQ9690

आस्था कारिया

भागीदार

सदस्यता संख्या 122491

यूडीआईएन: 24122491BKHBbj4500

स्थान: मुंबई

दिनांक : 22 मई 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2022-23	2023-24	आस्तियां	अनुसूची	2022-23	2023-24
पूंजी		5.00	5.00	बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	9.50	10.13
अन्य आरक्षित निधियाँ	1	238.00	240.00	स्वर्ण-बैंकिंग विभाग	7	2,30,733.95	2,74,714.27
जमाराशियाँ	2	13,54,217.22	17,19,838.56	निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	8	10,08,993.26	14,89,081.42
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	9	14,06,422.89	13,63,368.97
आक्रिमकता निधि		3,51,205.69	4,28,621.03	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	2,88,813.53	3,75,593.49
पुनर्मूल्यन खाता	3	11,26,088.12	11,30,963.71	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	1,35,282.86	2,60,520.73	अन्य आस्तियां	12	59,474.84	64,831.83
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (आईडी) की आस्तियां (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)			
जारी किए गए नोट	5	33,48,244.67	34,78,039.50	स्वर्ण- आईडी	7	1,40,765.60	1,64,604.91
				रुपया सिक्का		277.29	458.54
				निवेश-विदेशी-आईडी	8	32,07,201.78	33,12,976.05
				निवेश-घरेलू-आईडी	9	0.00	0.00
				घरेलू विनियम बिल और अन्य वाणि-जियक-पत्र		0.00	0.00
कुल देयताएं		63,44,756.24	70,47,703.21			33,48,244.67	34,78,039.50
				कुल आस्तियां		63,44,756.24	70,47,703.21

संगीता लालवानी
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

स्वामीनाथन जे.
उप गवर्नर

टी. रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

शक्तिकान्त दास
गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2022-23	2023-24
ब्याज	13	1,43,073.11	1,88,605.73
अन्य आय	14	92,384.15	86,966.59
	Total	2,35,457.26	2,75,572.32
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,682.80	5,101.40
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		118.19	128.39
एजेंसी प्रभार	15	4,068.62	3,976.31
कर्मचारी लागत		6,003.93	7,890.11
ब्याज		1.92	2.19
डाक और संचार प्रभार		191.18	242.75
मुद्रण और लेखन-सामग्री		26.97	29.53
किराया, कर, बीमा, विद्युत, आदि		161.47	254.14
मरम्मत और रखरखाव		126.21	173.07
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		4.15	5.75
लेखापरीक्षक के शुल्क और व्यय		7.44	7.37
विधिक प्रभार		16.88	18.06
मूल्यहास		303.18	370.62
विविध व्यय		1,448.35	3,674.73
प्रावधान		1,30,875.75	42,819.91
	कुल	1,48,037.04	64,694.33
उपलब्ध शेष राशि		87,420.22	2,10,877.99
घटाना :			
(a) निम्नलिखित में अंशदान:			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(b) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		1.00	1.00
(c) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि		87,416.22	2,10,873.99

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

संगीता लालवानी
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

स्वामीनाथन जे.
उप गवर्नर

टी. रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

शक्तिकान्त दास
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2022-23	2023-24
अनुसूची 1:	अन्य आरक्षित निधियाँ (i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	32.00 206.00 कुल	33.00 207.00 240.00
अनुसूची 2:	जमाराशियाँ (ए) सरकार (i) केंद्र सरकार (ii) राज्य सरकार (बी) बैंक (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक (iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (v) अन्य बैंक (सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं (i) रेपो उधार-विदेशी (ii) रिवर्स रेपो मार्जिन- विदेशी (डी) अन्य (i) आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाते के प्रशासक (ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियाँ (iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ (v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ (vi) म्यूचुअल फंड (vii) अन्य	5,000.93 42.49 उप योग 8,68,939.67 8,100.09 11,530.78 5,177.27 36,729.16 उप योग 1,00,952.11 1,255.08 उप योग 4,642.35 62,224.89 1,059.02 6,796.52 507.06 1.34 2,41,258.46 उप योग 13,54,217.22 कुल	5,000.30 42.46 5,042.76 9,56,010.64 10,934.25 12,272.97 6,515.91 39,714.96 10,25,448.73 1,61,402.27 2,146.54 1,63,548.81 4,778.94 78,212.53 1,702.86 7,727.18 501.00 1.33 4,32,874.42 उप योग 3,16,489.64 5,25,798.26 17,19,838.56
अनुसूची 3:	पुनर्मूल्यन खाता (i) मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) (ii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफएस) (iii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- रूपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस) (iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए)	11,24,733.16 0.00 0.00 1,354.96 कुल	11,30,793.34 0.00 0.00 170.37 11,30,963.71
अनुसूची 4:	अन्य देयताएं (i) वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए) (ii) देय राशियों के लिए प्रावधान (iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि (iv) केंद्र सरकार को देय अधिशेष (v) देय बिल (vi) विविध	0.00 3,665.97 30,892.24 87,416.22 0.11 13,308.32 कुल	0.00 4,827.02 33,321.37 2,10,873.99 11.35 11,487.00 2,60,520.73
अनुसूची 5:	जारी नोट (i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट (ii) संचलन में नोट (iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू (iv) सीबीडीसी-आर	9.43 33,48,218.85 10.69 5.70 कुल	10.06 34,77,795.32 0.08 234.04 34,78,039.50

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

			2022-23	2023-24
अनुसूची 6:	नोट, रूपया सिक्का, छोटे सिक्के (i) नोट (ii) रूपया सिक्का (iii) छोटे सिक्के		9.43 0.06 0.01	10.06 0.06 0.01
		कुल	9.50	10.13
अनुसूची 7:	स्वर्ण (ए) बैंकिंग विभाग (i) स्वर्ण (ii) स्वर्ण जमा (बी) निर्गम विभाग	उप योग	2,04,401.58 26,332.37 2,30,733.95 1,40,765.60	2,60,537.16 14,177.11 2,74,714.27 1,64,604.91
		कुल	3,71,499.55	4,39,319.18
अनुसूची 8:	निवेश-विदेशी (i) निवेश-विदेशी -बीडी (ii) निवेश-विदेशी -आईडी		10,08,993.26 32,07,201.78	14,89,081.42 33,12,976.05
		कुल	42,16,195.04	48,02,057.47
अनुसूची 9:	निवेश-घरेलू (i) निवेश-घरेलू -बीडी (ii) निवेश-घरेलू -आईडी		14,06,422.89 0.00	13,63,368.97 0.00
		कुल	14,06,422.89	13,63,368.97
अनुसूची 10:	ऋण और अग्रिम (ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम: (i) केंद्र सरकार (ii) राज्य सरकार (बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम: (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक (iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (v) नाबाड़ (vi) अन्य	उप योग	48,677.00 791.72 49,468.72 1,12,731.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,485.36 1,37,216.70	0.00 6,599.94 6,599.94 1,93,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,397.51 2,05,738.51
	(बी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम (i) रिवर्स रेपो उधार-विदेशी (ii) रेपो मार्जिन-विदेशी	उप योग	1,01,968.98 159.13	1,62,822.88 432.16
		कुल	1,02,128.11	1,63,255.04
			2,88,813.53	3,75,593.49
अनुसूची 11:	सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश (i) निश्चेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) (ii) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल) (iii) रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी) (iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) (v) भारतीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस) (vi) रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)		50.00 1,800.00 50.00 30.00 33.60 100.00	50.00 1,800.00 50.00 30.00 33.60 100.00
		कुल	2,063.60	2,063.60

वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

			2022-23	2023-24
अनुसूची 12:	अन्य आस्तियां			
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)		981.57	2,042.64
	(ii) उपचित आय (ए + बी)		55,217.80	58,878.51
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर		383.70	421.47
	बी. अन्य मदों पर		54,834.10	58,457.04
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)		0.00	0.00
	(iv) वायदा सविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)		1,354.96	170.37
	(v) विविध		1,920.51	3,740.31
		कुल	59,474.84	64,831.83
अनुसूची 13:	ब्याज			
	(ए) घरेलू स्रोत			
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज		96,516.05	92,589.51
	(ii) एलएफ परिचालन पर निवल ब्याज		-9,068.41	-7,052.08
	(iii) एसडीएफ पर ब्याज		-7,444.71	-5,616.80
	(iv) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज		361.02	3,413.37
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		2,411.98	2,094.09
		उप योग	82,775.93	85,428.09
	(बी) विदेशी स्रोत			
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय		43,649.26	65,327.93
	(ii) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन पर निवल ब्याज		228.25	228.64
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज		16,419.67	37,621.07
		उप योग	60,297.18	1,03,177.64
		कुल	1,43,073.11	1,88,605.73
अनुसूची 14:	अन्य आय			
	(ए) घरेलू स्रोत			
	(i) विनिमय		0.00	0.00
	(ii) बट्टा		0.00	0.00
	(iii) कमीशन		3,469.14	3,886.95
	(iv) प्राप्त किराया		8.99	9.19
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि		-222.86	859.32
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास		-110.67	-68.74
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन		-2,264.19	-2,394.71
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि		2.45	1.73
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय		-330.07	379.29
		उप योग	552.79	2,673.03
	(बी) विदेशी स्रोत			
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन		-9,972.25	2,235.86
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि		-1,740.59	-630.56
	(iii) विदेशी विनिमय से विदेशी मुद्रा लाभ/हानि		1,03,308.35	83,615.86
	(iv) विविध आय		235.85	-927.60
		उप योग	91,831.36	84,293.56
		कुल	92,384.15	86,966.59
अनुसूची 15:	एजेंसी प्रभार			
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन		3,873.06	3,806.71
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन		107.47	48.47
	(iii) विविध (राहत/बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार और टर्नओवर कमीशन)		20.98	28.12
	(iv) बाह्य आस्ति प्रबंधक, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क		67.11	93.01
		कुल	4,068.62	3,976.31

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना” है।

1.2 रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोट का निर्गमन एवं सिक्कों का संचलन;
- बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी करना एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना;
- सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण;
- डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण;
- ई) विदेशी मुद्रा के प्रबंधकर्ता के रूप में कार्य करना;
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन;
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना;
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना;
- आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग

से पूर्णतः अलग रखा जाएगा, और निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रूपया

सिक्के और रूपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं तत्समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 परिपाटी (कन्वेंशन)

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व निर्धारण

- ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो, उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीड़ी, विप्रेषण समाशोधन खाता, अग्रिम

राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक लगातार पूर्ण लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय पर अधिरोपित किया जाता है।

- सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।
- डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि की लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो और संविदाओं, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर) उस दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड, जो लागत पर मूल्यांकित हैं) के अलावा दैनिक मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-एफएस में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकर्षिक निधि (सीएफ) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप संविदा

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, जबकि बाजार मूल्य पर निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए

में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर एफसीवीए में डेबिट शेष, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप के मामले में, जो रेपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के एक हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में सहभागिता करता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरिवेटिव में लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरिवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाया (मार्कड टू मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में डाला जाता है।

एफ) प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में सहभागिता करता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के निवेशों के रूप में रहती हैं और इन्हें परिशोधित किया जाता है, ये ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाई (मार्कड टू मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिजर्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाजार दर पर दर्ज किए जाते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया जाता है। आईआरए-आरएस के क्रेडिट शेष को अगले लेखा वर्ष में आगे ले जाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-आरएस में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों/ तेल बॉण्डों की बिक्री/मोचन पर मूल्यन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए तेल बॉण्ड आय खाते

- में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।
- बी) टी-बिल को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है।
- सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है।
- डी) विभिन्न स्टाफ निधियों [(जैसे उपदान और अधिवर्षिता, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि)] डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) और पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) के लिए निर्धारित तेल बॉण्ड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।
- ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन उधार के रूप में माने जाते हैं और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाये जा रहे हैं, जबकि एलएएफ और एसडीएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन जमाराशियों के रूप में माने जा रहे हैं और 'जमाराशियां-अन्य' के तहत दर्शाये जा रहे हैं।

2.7 अचल आस्तियां

अचल आस्तियों में, लागत पर धारित कला और चित्र तथा पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड लैंड) को छोड़कर, अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यहास घटाकर प्राप्त लागत पर नियत किया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

- ए) ₹1 लाख तक की अचल आस्तियों (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) को अधिग्रहण के वर्ष में आय में प्रभारित किया

जाता है। आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

- बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।
- सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यहास की गणना, पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और अनुप्रयुक्त आस्तियों के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार छमाही आधार पर प्रभावी होगी।
- डी) एक आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाता है:

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन-काल (मूल्यहास की दर)
1	2
विद्युत संस्थापना, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, इत्यादि (20 प्रतिशत)	5 वर्ष
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि (33.33 प्रतिशत)	3 वर्ष

मासिक यथानुपात आधार पर छमाही के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के माह सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास की गणना की जाती है।

एफ) बाद के व्यय पर मूल्यहास:

- एक मौजूदा अचल आस्ति पर उपगत बाद का व्यय, जिसे खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यहासित नहीं किया गया है, उसका मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-काल पर मूल्यहास किया जाता है;

- ii. मौजूदा अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के व्यय, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है, को पहले पूँजीकृत किया जाता है और जिस वर्ष में व्यय होता है, उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

2.7.2 भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) भूमि

- 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली आस्तियाँ माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।
- 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन, पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।
- पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष का माना जाता है और इन पर तीस वर्षों के दौरान 'सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट-लाइन)' आधार पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यहास, भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित किए गए हों या जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा: ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यहास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है: ये भवन, वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाये गए हैं। यदि यह परिणामी राशि क्रणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य)/ स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

- बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।
- दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.6 रिजर्व बैंक की देयताएं

XII.6.1 पूँजी

रिजर्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूँजी ₹5 करोड़ थी। रिजर्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास निहित रहा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूँजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.6.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन, रिजर्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाली ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो 'पुनर्मूल्यन खाता' शीर्ष के अंतर्गत आता है।

XII.6.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिजर्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च

2024 की स्थिति के अनुसार इस निधि में शेष राशि ₹33 करोड़ थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक मूल पूँजी को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, इस निधि में प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹207 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए, प्रति निधि प्रत्येक वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.6.4 जमाराशियां

ये बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एकिजम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशि, और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रेपो, एसडीएफ, चिकित्सा सहायता निधि (एमएफ), पीआईडीएफ आदि के बदले बकाया जमाराशियों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली शेष राशि को दर्शाते हैं। कुल जमाराशि में 27.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2023 को ₹13,54,217.22 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक ₹17,19,838.56 करोड़ हो गई।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2023 के ₹5,000.93 करोड़ और ₹42.49 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹5000.30 करोड़ और ₹42.46 करोड़ थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक, रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में राशि जमा रखते हैं। बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2023 के ₹9,30,476.97 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 को ₹10,25,448.73 करोड़ हो गई। इस शीर्ष में वृद्धि बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि के कारण हुई।

सी. जमाराशियां - भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

वर्ष के दौरान रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण, इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹1,02,207.19 करोड़ से 60.02 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,63,548.81 करोड़ हो गई।

डी. जमाराशियां - अन्य

‘जमाराशियां - अन्य’ में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशियां, जमार्कर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएनिधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), पीआईडीएफ, रिवर्स रेपो के अंतर्गत बकाया राशियां, एसडीएफ आदि शामिल होते हैं। मुख्य रूप से रिवर्स रेपो जमाराशियों में वृद्धि के कारण, ‘जमाराशियां-अन्य’ 31 मार्च 2023 को ₹3,16,489.64 करोड़ से 66.13 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹5,25,798.26 करोड़ हो गई।

XII.6.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार जोखिम प्रावधान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए जोखिम प्रावधानों में आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) शामिल हैं। पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ये जोखिम प्रावधान, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे¹ (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध वास्तविक इकिवटी (एआरई) के घटक हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का विवरण पिछले पैराग्राफ में दिया गया है। दो जोखिम प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

ए. आकस्मिकता निधि (सीएफ)

यह एक विशिष्ट प्रावधान है जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटना है, जिसमें प्रतिभूतियों का मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम शामिल है। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस

¹ भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ईसीएफ को अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपनाया गया था।

में डेबिट बैलेंस के कारण क्रमशः ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ की राशि सीएफ पर चार्ज की गई थी। अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ पर प्रभार प्रत्यावर्तित किया जाता है। इसके अलावा, उपलब्ध प्राप्त इकिवटी (एवेलेबल रियलाइज़ड इकिवटी) को तुलन पत्र के आकार के 6.50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने के लिए सीएफ के लिए ₹42,819.9 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक सीएफ में शेष राशि ₹4,28,621.03 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2023 को यह ₹3,51,205.69 करोड़ थी।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि (एसेट डेवलेपमेंट फंड) 1997-98 में बनाया गया और उसकी शेष राशि विशेष रूप से सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थानों में निवेश और आंतरिक पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए आज तक किए गए प्रावधान को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 की तरह, 31 मार्च 2024 तक एडीएफ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

XII.6.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्य पर अंकित लाभ/हानि पुनर्मूल्यन शीर्षों जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) में दर्ज किए जाते हैं। इनका विवरण यहाँ दिया गया है:

ए. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिजर्व बैंक के सामने आने वाले बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, उसके मूल्यन और विनिमय दरों और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ परिवर्तित होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर/ स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। अगर रूपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है तो यह दबाव में आ सकता है। जब सीजीआरए विनिमय घाटे को पूरी तरह से

सारणी XII.2: पूँजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में संतुलन (उपलब्ध वास्तविक इकिवटी)

(₹ करोड़)

को स्थिति	पूँजी	आरक्षित निधि	सीएफ	एडीएफ	एआई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
जून 30, 2020	5.00	6,500.00	2,64,033.94	22,874.68	2,93,413.62	5.50
मार्च 31, 2021	5.00	6,500.00	2,84,542.12 [@]	22,874.68	3,13,921.80	5.50
मार्च 31, 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94 ^{\$}	22,974.68 ^{\$\$}	3,40,466.62	5.50
मार्च 31, 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69 [*]	22,974.68	3,80,685.37	6.00
मार्च 31, 2024	5.00	6,500.00	4,28,621.03 [^]	22,974.68	4,58,100.71	6.50

@ : सीएफ में वृद्धि ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए में ₹6,127.35 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

\$: सीएफ में वृद्धि ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

\$\$: एडीएफ में वृद्धि आरबीआईएच में निवेश के कारण ₹100 करोड़ के प्रावधान से है।

* : सीएफ में वृद्धि ₹1,30,875.75 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस तथा आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ और ₹19,417.61 करोड़ राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

^ : सीएफ में वृद्धि ₹42,819.91 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ के नामे शेष राशि पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो इसकी भरपाई सीएफ से की जाती है।

- बी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफएस)

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उनसे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। लगभग सभी प्रमुख बाजारों की परिपक्वता अवधि के प्रतिफल में नरमी के कारण, आईआरए-एफएस में शेष राशि 31 मार्च, 2023 के ₹ (-)1,65,488.93 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ (-)1,43,220.82 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में ₹1,43,220.82 करोड़ की नामे शेष राशि को 31 मार्च, 2024 को सीएफ के साथ समायोजित किया गया जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य रही।

- सी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रूपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में रखी गयी रूपया प्रतिभूतियाँ और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लिखित अपवादों के साथ) को शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखा आईआरए-आरएस में किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च, 2023 को ₹(-)19,417.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ (-)7,090.29 करोड़ हो गई, जिसका कारण वक्र पर प्रतिफल में नरमी का आना था। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-आरएस में ₹ 7,090.29 करोड़ की नामे शेष

राशि 31 मार्च, 2024 को सीएफ के सामने समायोजित की गई जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को आईआरए-आरएस में शेष राशि शून्य थी।

- डी. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

31 मार्च, 2023 तक ₹1,354.96 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक बकाया वायदा संविदा को बाजार मूल्य पर अंकित करने के परिणामस्वरूप, ₹170.37 करोड़ का निवल अप्राप्त लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे के साथ एफसीवीए में जमा किया गया।

XII.6.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च, 2023 के ₹1,35,282.86 करोड़ से 92.57 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹2,60,520.73 करोड़ हो गईं, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि है।

- i. वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

31 मार्च 2024 के साथ-साथ 31 मार्च 2023 को भी इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

पिछले पांच वर्षों के पुनर्मूल्यन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

- ii. देयताओं के लिए प्रावधान

यह वर्ष के अंत में किए गए व्यय जिनका भुगतान नहीं किया गया है और यदि अग्रिम/देय प्राप्त आय हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च, 2023 को ₹3,665.97 करोड़ से 31.67 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹4,827.02 करोड़ हो गई।

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए में बकाया), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रूपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाते के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए) में शेष राशि

निम्नलिखित तिथि को	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस	एफसीवीए	(₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31 मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च, 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च, 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00
31 मार्च, 2024	11,30,793.34	0.00	0.00	170.37	0.00

iii. केंद्र सरकार को देय अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत अशोध्य और संदिग्ध कर्जों, आस्तियों में मूल्यहास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए प्रावधान करने के बाद, रिजर्व बैंक के मुनाफे का शेष केंद्र सरकार को भुगतान किया जाना है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिजर्व बैंक अपनी किसी भी आय, लाभ या लाभ पर आयकर या सुपर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹2,10,873.99 करोड़ था (पिछले वर्ष के ₹424.07 करोड़ के मुकाबले ₹291.42 करोड़ सहित, विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय के अंतर के लिए देय)।

iv. देय बिल

रिजर्व बैंक अपने घटकों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के

अलावा) जारी करके प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि दावा न किए गए डीडी/पीओ को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च, 2023 को ₹0.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹11.35 करोड़ हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट शीर्ष है, जिसमें निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैशिक प्रावधान आदि जैसी मदें शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹13,308.32 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2024 को ₹11,487.00 करोड़ हो गई।

XII.6.8 निर्गम विभाग की देयताएं-जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्रा नोटों की मात्रा को दर्शाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34(1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के परिचालन शुरू होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी सभी मुद्रा नोट निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे। 31 मार्च, 2023 को जारी किए गए नोट ₹33,48,244.67 करोड़ से 3.88 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹34,78,039.50

करोड़² हो गए। डिजिटल रूप में संचलन में बैंक नोटों का मूल्य यानी ई-थोक (ईच-डब्ल्यू) और ई-खुदरा (ईच-आर) 31 मार्च, 2024 को क्रमशः ₹0.08 करोड़ और ₹234.04 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह क्रमशः ₹10.69 करोड़ और ₹5.70 करोड़ था।

पहले, 30 जून 2018 तक भुगतान न किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि, ‘अन्य देयताओं’ में स्थानांतरित कर दी गई। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकारों को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹5.93 करोड़ तक का भुगतान किया है और इस शीर्ष के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹36.14 करोड़ रहा।

XII.7 रिजर्व बैंक की आस्तियां

XII.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों से संबंधित है जो रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैंकिंग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। 31 मार्च 2024 को यह शेष राशि ₹10.13 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 को ₹9.50 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण-बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 822.10 मीट्रिक टन था, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 794.63 मीट्रिक टन था। यह वृद्धि वर्ष के दौरान स्वर्ण में 27.47 मीट्रिक टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी के कारण हुई।

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया स्वर्ण (भारत में रखा हुआ)	301.09	308.03
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (विदेश में रखे हुए स्वर्ण सहित)	493.54	514.07*
कुल	794.63	822.10

#: 100.28 मीट्रिक टन भारत में और 413.79 मीट्रिक टन विदेश में रखा गया।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 822.10 मीट्रिक टन में से 308.03 मीट्रिक टन स्वर्ण जारी नोटों के बदले में रखा गया है जो 31 मार्च 2023 को 301.09 मीट्रिक टन था और इसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में अलग से दर्शाया गया है। शेष स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्तियां माना जाता है जो 31 मार्च 2023 के 493.54 मीट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2024 को 514.07 मीट्रिक टन था (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2023 के ₹2,30,733.95 करोड़ से 19.06 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹2,74,714.27 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 20.53 मीट्रिक टन स्वर्ण की बढ़ोतरी होने, स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुई।

iii) क्रय किए और भुनाए गए बिल

यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बिलों को खरीद और भुना सकता है, लेकिन 2023-24 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। अतः, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

² इसमें भौतिक और डिजिटल रूप में बैंक नोट शामिल हैं।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा (एफसीए) इस प्रकार हैं: (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में रखी जमाराशियां; (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास रखी जमाराशियां; (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में रखी जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश; एवं (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुखों मदों के तहत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' को बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' को निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र हैं,

जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए का शेष हिस्सा 'निवेश-विदेशी-बीडी' है।

एफसीए की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

इस निवेश में दिनांकित सरकारी रूपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और विशेष तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिजर्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता, जो 31 मार्च 2023 को ₹14,06,422.89 करोड़ थी, 3.06 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2024 को ₹13,63,368.97 करोड़ हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री और निवेश सूची में धारित प्रतिभूतियों के मोचन के कारण आई।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च तक	
	2023	2024
1	2	3
I निवेश-विदेशी-बीडी*	10,08,993.26	14,89,081.42
II निवेश-विदेशी-आईडी	32,07,201.78	33,12,976.05
कुल	42,16,195.04	48,02,057.47

*: इसमें बीआईएस और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फिनान्शियल टेलीकम्यूनिकेशन्स (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2024 को ₹12,553.70 करोड़ रूपये था जबकि 31 मार्च 2023 को यह राशि ₹12,096.82 करोड़ थी।

टिप्पणी: 1. रिजर्व बैंक आईएमएफ की 'उधार लेने की नई व्यवस्था' (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹98,080.69 करोड़ / 11.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च 2024 तक एनएबी के तहत बकाया कोई निवेश नहीं है।

2. रिजर्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर काइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश के लिए सहमत हो गया है, तथापि समग्र रूप से यह राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹41,701.05 करोड़) से अधिक नहीं हो। 31 मार्च 2024 तक रिजर्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 0.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹7,773.08 करोड़) का निवेश किया है।

3. वर्ष 2013-14 के दौरान, रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 31 मार्च 2024 तक 1.11 बिलियन (₹12,225.23 करोड़ / 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का एसडीआर रिजर्व बैंक के पास था।

4. क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रूपये, दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2024 तक सार्क और एसीयू मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹20,214.68 करोड़) थी।

5. पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्शिक और मार्जिन के रूप में दर्शायी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,62,047.22 करोड़ / 19.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,76,406.05 करोड़ / 21.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

6. 31 मार्च 2024 को प्रतिभूति उधार देने की व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹81,283.23 करोड़ / 9.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया है जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2024 तक, विभिन्न स्टाफ फंड और डीईए फंड के लिए ₹1,19,173 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए थे।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों के मामले में इस प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार समिति/समूह की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए के तहत बकाया ऋण राशि ₹48,677.00 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2024 को यह राशि शून्य थी। राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2023 को ₹791.72 करोड़ था जो बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹6,599.94 करोड़ गया।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम: इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत बकाया रेपो राशि शामिल है।

वर्ष के दौरान प्रणालीगत चलनिधि कम रहने की वजह से एलएएफ के तहत और बैंकिंग प्रणाली में प्रणालीगत चलनिधि अस्थिर रहने से एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा लिए गए ऋण में वृद्धि के कारण बकाया राशि, जो 31 मार्च 2023 को ₹1,12,731.34 करोड़ थी, बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,93,341.00 करोड़ हो गई।

नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। 31 मार्च 2023 के साथ-साथ 31 मार्च 2024 को कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं था और तदनुसार इस खाते में शेष राशि 'शून्य' थी।

अन्य को ऋण और अग्रिम:

इस मद के तहत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऋण और अग्रिम और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता से संबंधित है। इस मद में बकाया राशि 31 मार्च 2023 के ₹24,485.36 करोड़ से 49.37 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2024 को ₹12,397.51 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण 31 मार्च 2024 तक वित्तीय संस्थानों द्वारा चलनिधि सुविधा सहायता के अंतर्गत कम ऋण लिया जाना है।

सी) भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम

वर्ष के दौरान रिवर्स रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस मद के तहत शेष 31 मार्च 2023

वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

के ₹1,02,128.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,63,255.04 करोड़ हो गया।

vii) सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2024 को कुल धारित राशि ₹2,063.60 करोड़ थी। समान राशि 31 मार्च 2023 को भी थी।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम, पूरा होने के लिए लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमाराशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि, जो 31 मार्च 2023 को ₹59,474.84 करोड़ थी, 9.01 प्रतिशत बढ़ कर 31 मार्च 2024 को ₹64,831.83 करोड़ हो गई।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप की कोई बकाया संविदा नहीं थी जो बाजार से अलग रेपो दर पर हो।

बी. वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

आरएफसीए में शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹170.37 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 की ₹1,354.96 करोड़ की बकाया वायदा संविदा पर निवल बाजार अंकित लाभ को दर्शती है।

XII.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रूपया सिक्का, रूपया प्रतिभूतियां और देशी विनिमय बिल तथा अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के पास 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण हैं जिसमें से 308.03 मीट्रिक टन 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण का मूल्य 31

सारणी XII.6: सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में धारित राशि

(₹ करोड़)

	2022-23	2023-24	31 मार्च 2024 तक धारित राशि प्रतिशत में
1	2	3	4
ए) निशेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी) रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	33.60	33.60	100
एफ) रिजर्व बैंक नवान्मेष हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल	2,063.60	2,063.60	

मार्च, 2023 के ₹1,40,765.60 करोड़ से 16.94 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹1,64,604.91 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान स्वर्ण के मूल्य में यह वृद्धि स्वर्ण की मात्रा में 6.94 मीट्रिक टन की वृद्धि, स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और यूएस डालर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुई है।

निर्गमित नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इसके समर्थन में रखा गया निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च, 2023 के ₹32,07,201.78 करोड़ से 3.30 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹33,12,976.05 करोड़ हो गया।

निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 31 मार्च, 2023 के ₹277.29 करोड़ से 65.36 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹458.54 करोड़ हो गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.8 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) धारिताएं एवं रिजर्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर धारिता रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा है तथा इसे 'निवेश-विदेशी-बीडी' के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार के पास रखी एसडीआर धारिता तथा आरटीपी, जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती है, रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रूपए और अमेरिकी डॉलर, जो रिजर्व बैंक के एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में दी गई है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	41,89,132.39 [^]	47,61,844.48 [#]	5,72,712.09	13.67
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	3,71,499.55 [@]	4,39,319.18 [*]	67,819.63	18.26
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,51,164.10	1,51,223.44	59.34	0.04
आईएमएफ में रिजर्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	42,468.49	38,868.77	-3,599.72	-8.48
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	47,54,264.53	53,91,255.87	6,36,991.34	13.40

[^]: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ₹11,767.83 करोड़ की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹9,558.65 करोड़ का निवेश; और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया ₹5,736.17 करोड़ का उधार।

[#]: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ₹12,225.23 करोड़ की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹7,773.08 करोड़ का निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू करेंसी व्यवस्था के तहत दिया गया ₹20,214.68 करोड़ का उधार।

[@]: इसमें से ₹1,40,765.60 करोड़ मूल्य के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,30,733.95 करोड़ मूल्य के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

^{*}: इसमें से ₹1,64,604.91 करोड़ मूल्य के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,74,714.27 करोड़ मूल्य के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस\$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	509.69*	570.95**	61.26	12.02
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	45.20	52.67	7.47	16.53
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.39	18.13	-0.26	-1.41
आईएमएफ में रिजर्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	5.17	4.66	-0.51	-9.86
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	578.45	646.41	67.96	11.75

*: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध यूएस\$1.43 बिलियन की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में यूएस\$1.16 बिलियन का निवेश; और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया यूएस\$0.70 बिलियन का उधार दिया गया।

**:निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध यूएस\$1.46 बिलियन की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में यूएस\$0.93 बिलियन का निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया यूएस\$2.42 बिलियन का उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.9 रिजर्व बैंक की आय के घटक 'ब्याज' एवं 'अन्य आय' हैं जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर मिलने वाले प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुआ लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिजर्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ/हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय की कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रेपो पर प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.10 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय वर्ष 2022-23 के ₹1,52,128.54 करोड़ से 23.23 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,87,471.20 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर होने वाले अर्जन की दर वर्ष 2022-23 के 3.73 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023-24 में 4.21 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.11 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय वर्ष 2022-23 के ₹83,328.72 करोड़ से 5.73 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹88,101.12 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एलएएफ/एमएसएफ/एसडीएफ के तहत दिए जाने वाले निवल ब्याज में आई कमी है (सारणी XII.9)।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

मद	2022-23	2023-24	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	42,16,195.04	48,02,057.47	5,85,862.43	13.90
औसत एफसीए	40,81,053.94	44,52,358.86	3,71,304.92	9.10
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूँजीगत लाभ/ हानि)	1,52,128.54	1,87,471.20	35,342.66	23.23
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	3.73	4.21	0.48	12.87

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से अर्जन

(₹ करोड़ में)

मद	2022-23	2023-24	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	83,328.72	88,101.12	4,772.41	5.73
I. रुपया प्रतिभूतियों और डिस्काउंट लिखतों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	96,516.05	92,589.51	-3,926.54	-4.07
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	-222.86	859.32	1,082.18	485.59
iii) रुपया प्रतिभूतियों अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-110.67	-68.74	41.93	37.89
iv) रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन	-2,264.19	-2,394.71	-130.52	-5.76
v) डिस्काउंट	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	93,918.33	90,985.38	-2,932.95	-3.12
II. एलएएफ/ एमएसएफ/एसडीएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-9,068.41	-7,052.08	2,016.33	22.23
ii) एसडीएफ पर निवल ब्याज	-7,444.71	-5,616.80	1,827.91	24.55
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	361.02	3,413.37	3,052.35	845.48
उप जोड़ (i+ii+iii)	-16,152.10	-9,255.51	6,896.59	42.70
III. अन्य क्रांतों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	556.49	1,294.43	737.94	132.61
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,791.55	718.92	-1,072.63	-59.87
iii) कर्मचारी	63.94	80.74	16.80	26.27
उप जोड़ (i+ii+iii)	2,411.98	2,094.09	-317.89	-13.18
IV. अन्य अर्जन				
i) विनियम	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	3,469.14	3,886.95	417.81	12.04
iii) प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	-318.64	390.21	708.85	222.46
उप जोड़ (i+ii+iii)	3,150.50	4,277.16	1,126.66	35.76

XII.12 रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की धारिता पर ब्याज वर्ष 2022-23 के ₹96,516.05 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹92,589.51 करोड़ हो गया।

XII.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) परिचालन से, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि में कमी के कारण, निवल ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹(-)16,152.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ (-)9,255.51 करोड़ हो गई।

XII.14 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ वर्ष 2022-23 के ₹(-)222.86 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹859.32 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण

चालू वर्ष में सभी बैंकों के प्रतिफलों में आई नरमी है, जिसके कारण प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिक प्राप्ति हुई। वर्ष 2023-24 में, निवल बिक्री परिचालन ₹18,505 करोड़ (अंकित मूल्य) था।

XII.15 रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन: रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्डों पर प्रीमियम/डिस्काउंट का अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से प्राप्त होने वाली निवल आय 2022-23 के ₹ (-)2,264.19 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹(-)2,394.71 करोड़ हो गई।

वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

XII.16 डिस्काउंट : वर्ष 2022-23 की भांति वर्ष 2023-24 में बहुगत लिखतों (टी-बिल) की धारिता से कोई आय प्राप्त नहीं हुई।

XII.17 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार :

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय वर्ष 2022-23 के ₹556.49 करोड़ से 132.61 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,294.43 करोड़ हो गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए/ओडी के चलते केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹32.52 करोड़ से 1,086.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹385.71 करोड़ हो गई। डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ के चलते राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹523.97 करोड़ से 73.43 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹908.72 करोड़ हो गई। यह वृद्धि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक ऋण लिए जाने के कारण थी।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं :

विशेष चलनिधि सुविधा के तहत वित्तीय संस्थानों द्वारा कम ऋण लिए जाने के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹1,791.55 करोड़ से 59.87 प्रतिशत घटकर वर्ष 2023-24 में ₹718.92 करोड़ रह गई।

सी. कर्मचारी :

कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹63.94 करोड़ से 26.27 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹80.74 करोड़ हो गई।

XII.18 कमीशन : कमीशन आय जो 2022-23 में ₹3,469.14 करोड़ थी, 12.04 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹3,886.95 करोड़ हो गई। यह वद्धि मुख्य रूप से ए) केंद्र सरकार के बकाया ऋणों, सरकारी स्वर्ण बॉण्ड तथा बचत बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि और बी) राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि तथा सी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य से वसूले गए फ्लोटेशन प्रभार में वृद्धि के कारण हुई।

XII.19 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ/हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय : आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन, जो 2022-23 में ₹(-)318.64 करोड़ था, बढ़ कर 2023-24 में ₹390.21 करोड़ हो गया।

व्यय

XII.20 रिजर्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करते हुए एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों की छपाई, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबंधित और अन्य व्यय करता है। रिजर्व बैंक का कुल व्यय 2022-23 के ₹1,48,037.04 करोड़ से 56.30 प्रतिशत घट कर 2023-24 में ₹64,694.33 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

सारणी XII.10: व्यय

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	(₹ करोड़)	
					1	2
i. ब्याज भुगतान	1.34	1.10	1.77	1.92		2.19
ii. कर्मचारी लागत	8,928.06	4,788.03	3,869.43	6,003.93		7,890.11
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	3,876.08	3,280.06	4,400.62	4,068.62		3,976.31
iv. नोटों का मुद्रण	4,377.84	4,012.09	4,984.80	4,682.80		5,101.40
v. प्रावधान	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01	1,30,875.75		42,819.91
vi. अन्य	1,742.61	1,355.35	1,877.05	2,404.02		4,904.41
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	92,540.93	34,146.75	1,29,800.68	1,48,037.04		64,694.33

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज के रूप में ₹2.19 करोड़ की राशि का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी परोपकारी निधि को किया गया, जबकि 2022-23 में यह राशि ₹1.92 करोड़ थी।।

ii) कर्मचारी लागत

कुल कर्मचारी लागत 2022-23 के ₹6,003.93 करोड़ से 31.42 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹7,890.11 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी 2023-24 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए रिजर्व बैंक के व्यय में बढ़ोतरी की वजह से थी।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिजर्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2022-23 के ₹3,873.06 करोड़ से मामूली रूप से अर्थात् 1.71 प्रतिशत घटकर 2023-24 में ₹3,806.71 करोड़ हो गया।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किए गए हामीदारी कमीशन के कारण यह व्यय 2022-23 के ₹107.47 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹48.47 करोड़ हो गया।

निवेश मांग में वृद्धि और पीड़ी के लिए कोई अंतरण न होने के कारण चालू वर्ष में हामीदारी कमीशन काफी कम रहा।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को भुगतान किए गए टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार लेन-देन प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2022-23 के ₹20.98 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹28.12 करोड़ हो गया।

डी. बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों, आदि को अदा किया गया शुल्क

इस मद में व्यय 2022-23 में ₹67.11 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹93.01 करोड़ हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2023-24 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,43,000 लाख थी जो कि वर्ष 2022-23 के 2,26,002 लाख नोट की तुलना में 7.52 प्रतिशत अधिक है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2022-23 के ₹4,682.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹5,101.40 करोड़ हो गया।

v) प्रावधान

ईसीएफ आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) तुलन पत्र आकार के 5.50 से 6.50 प्रतिशत तक की सीमा में बनाए रखा जाना अपेक्षित है। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व बैंक तुलन पत्र आकार का 6.50 प्रतिशत सीआरबी बनाए रखने के

लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्ष के दौरान इसे सीएफ में अंतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi) अन्य

अन्य व्यय में मुद्रा विप्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, लेखा-परीक्षा शुल्क तथा संबंधित व्यय, विविध व्यय आदि शामिल हैं, जो 2022-23 के ₹2,404.02 करोड़ से 104.01 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹4,904.41 करोड़ हो गया।

आकस्मिक देयताएं

XII.21 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,002.45 करोड़ रुपए थीं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा

है। बीआईएस के अंशतः चुकता शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2024 को ₹985.36 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेन-देन

XII.22 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों को शामिल किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.12 करोड़ और ₹2.09 करोड़ थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.23 निम्नलिखित सारणी में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल धन या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत किया गया है :

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23		2023-24	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5
i. मूल राशि और उस पर देय ब्याज जिसका भुगतान 31 मार्च; तक किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं हुआ है	-	-	-	-
ii. लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	-	-	-	-
iii. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) जिसमें अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज न जोड़ा गया हो;	-	-	-	-
iv. लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि जिसका भुगतान न हुआ हो;	-	-	-	-
v. अतिरिक्त ब्याज राशि, जो बाद के वर्षों में भी बकाया और देय है, जिसका भुगतान उस तारीख तक जब उसका भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया गया हो, बकाया हो, जो धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के उद्देश्य के रूप में अस्वीकृत है।	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

-: कुछ नहीं ला.न.: लागू नहीं

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः
व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी
तुलना की जा सके।

लेखा परीक्षक

XII.25 बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय
रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में

केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व
बैंक की लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड
जसूभॉय, मुंबई और मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी
एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप
में और मेसर्स एस घोष एंड कंपनी कोलकाता, मैसर्स एन. सी.
राजगोपाल एंड कंपनी चेन्नई और मेसर्स जे. सी. भल्ला एंड
कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के
रूप में की गई।